



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755-2551486-87 फैक्स 2550094

क्र. 9200/MGNREGS-MP/NR-1/15

भोपाल, दिनांक 1/10/2015

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला खरगोन मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम पंचायतों का नगरीय निकाय में विलय होने से प्रगतिरत कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन बावत।

संदर्भ :- 1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन का पत्र क्र. 9518 दि.07.08.2015
2. पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्र. प.रा./पंचायत-1369/2015/3265
दिनांक 30.03.2015

-&-

उपरोक्त विषयांतर्गत सदरभित पत्र क्र. 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत करही एवं पाडल्या खुर्द का विलय विगत नगरीय निकाय निर्वाचन में नगर परिषद करही पाडल्या में हो गया है। वर्तमान में इन ग्राम पंचायतों में एम.आई.एस में कुल 23 अपूर्ण कार्य (करही 20, पाडल्याखुर्द 03) प्रदर्शित हो रहे हैं। परिषद स्तर पर सूची के अवलोकन में पाया गया है कि, ग्राम पंचायत करही में संलग्न सूची अनुसार 5,11,12,14 में कोई व्यय नहीं हुआ है, जिन्हे निरस्त कर डिलिट किया जाने की कार्यवाही की जावे। 4,6,13,18 के कार्यों में राशि रु. एक हजार से दस हजार के मध्य व्यय हुआ है, इन कार्यों में स्थल सत्यापन कराया जाकर विलोपित किये जाने या अन्य योग्य कार्यवाही का जिला स्तर पर निर्णय लिया जावे। ग्राम पंचायत पाडल्या खुर्द अंतर्गत क्र.1 अंकित कार्य इसी श्रेणी का है।

उक्त दोनो ग्राम पंचायतों के शेष अपूर्ण कार्यों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यों की ग्राम पंचायतवार संलग्न प्रारूप में जानकारी तैयार कर युक्तिसंगत प्रस्ताव आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश को उनके द्वारा जारी पत्र क्र. प.रा./पंचायत-1369/2015/3265 दिनांक 30.03.2015 के पैरा 3 में दिये गये निर्देशों के तहत भेजा जावे। प्रस्ताव की एक प्रति परिषद को भी भेजी जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(रघुराज राजेन्द्रन)
16/9/15

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी
परिषद, भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त संभाग **समस्त** की ओर सूचनार्थ।
(**राज्य को छोड़कर**)
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मन्तरंगा जिला. की ओर
सूचनार्थ। **उन्दीर, बालाघाट, मुरैना, छिंदवाड़ा, विदिशा, होशंगाबाद, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सागर, सतना, उज्जैन, देवास, जबलपुर, नरसिंहपुर, अशोकनगर, ग्वालियर**
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक मन्तरंगा जिला.....

कृपया नगरीय निकायों में विलय हुई ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्य MIS में प्रदर्शित हो रहे हों तब उनका सुक्ष्मता से परीक्षण कर, कार्यों को पूर्ण कराने हेतु संभावित व्यय का प्रस्ताव 15 दिवस में आयुक्त पंचायत राज संचालनालय म.प्र. को भेजेत हुये 01 प्रति परिषद को उपलब्ध करावें। **उज्जैन, उन्दीर, बालाघाट, मुरैना, छिंदवाड़ा, विदिशा, होशंगाबाद, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सागर, सतना, उज्जैन, देवास, जबलपुर, नरसिंहपुर, अशोकनगर, ग्वालियर**

आयुक्त

प्र. राज्य रोजगार गारंटी
परिषद, भोपाल

नगरीय निकाय में विलय की गई ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु संभावित व्यय राशि की पत्रक।

व्यक्तिगत कार्य:-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	कार्य की लागत (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने हेतु संभावित व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
योग							

समूदायिक कार्य:-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	कार्य की लागत (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने हेतु संभावित व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
योग							